# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

**अपील एल.आर. संख्या 89 /2009/ जिला–अजमेर**

मंदिर श्री बंशीवारा वाके मौजा लीलासेवड़ी, उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर जरिये मालिक, प्रबन्धक व पुजारी श्री सुरेश कुमार जी सुपुत्र श्री सूर्यानन्द जी शर्मा (मृतक) जरिये वारिसानः–

1. श्रीमती सुनन्दा देवी शर्मा बेवा श्री सुरेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम लीलासेवड़ी, उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमती शिखा शर्मा पुत्री श्री सुरेश शर्मा धर्मपत्नी श्री धर्मेन्द्र शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी जे–132 आदर्श नगर, जयपुर।
3. विशाल आनन्द शर्मा पुत्र श्री सुरेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लीलासेवड़ी उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर
4. श्रीमती जूही शर्मा पुत्री श्री सुरेश शर्मा धर्मपत्नी श्री योगेश शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी सी.बी.आई. कॉलोनी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

## बनाम

1. श्रीमती यशोदा बेवा श्री माना
2. बज्जा पुत्र श्री माना
3. पन्ना पुत्र श्री माना
4. सोहन पुत्र श्री माना
5. नानू पुत्र श्री माना
6. मीरा पुत्री श्री माना
7. लाली पुत्री श्री माना
   जाति भांबी, निवासी ग्राम कानस, उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखाराम जाति भांबी निवासी पुष्कर उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर
9. उप पंजीयक पुष्कर, उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 01–04–2009
अन्तर्गत अपील संख्या 90/2007 बउनवान मंदिर श्री बंशीवारा बनाम
श्रीमति यशोदा देवी व अन्य

उपस्थित : 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री रमजान मोहम्मद अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

# निर्णय

दिनांक : 27–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानस उपतहसील पुष्कर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात श्री माना पुत्र श्री मंगजा जाति भांबी की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी है, के हाल खसरा नम्बर 964 मिन रकबा 11 बीघा श्री माना की खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त आराजियात श्री माना द्वारा जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 को अपीलांट मंदिर श्री बंशीवारा को प्रदान कर दी तब से मंदिर की ओर से प्रबन्धक/पुजारी श्री सुरेश शर्मा तत्पश्चात अपीलांट्स उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजियात श्री माना की गैर खातेदारी में दर्ज थी जो जरिये नामांन्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19–2–98 को खातेदारी में दर्ज की गई श्री माना की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट मंदिर श्री बंशीवारा के बजाय ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 21–1–2006 को श्री माना के वारिसान रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजियात में श्री माना के हक अधिकार एवं स्वत्व दिनांक 22–10–1970 को निहित थे उन्हें उसी रूप में माना जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा मंदिर को प्रदत्त कर चुका था उक्त दिनांक से माना एवं उसके वारिसानों के विवादग्रस्तआराजियात पर कोई हक अधिकार एवं स्वत्व शेष नहीं रहने से नामान्तरकरण संख्या 316 के जरिये विवादग्रस्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया। उक्त नामांन्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा जिला कलक्टर, अजमेरके समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने गैर कानूनी रूप से शास्वत नाबालिग अव्यस्क के हितों को नजरअन्दाज करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–04–2009 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय की नकल हेतु दिनांक 11–5–2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर

दो की बजाय मात्र एक प्रति दिनांक 10–6–2009 को दी गई जिससे माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत एक अपील में प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है एवं उक्त अपील में फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि नकल मिलने में हुए विलम्ब के करण नकल प्राप्ति में लगा समय क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना, कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा उन्होंने दौरान बहस मुख्य मुख्य तर्क दिये कि ग्राम कानस, तहसील पुष्कर स्थित विवादग्रस्त आराजियात चौसाला खसरा नम्बर 781 रकबा 15–7–10 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 964 रकबा 11 बीघा के खातेदार माना पुत्र श्री मंगला जाति भांबी थे जिनके द्वारा विवादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 को अपीलांट मंदिर श्री बंशीवारा को प्रदान कर दी तब से मंदिर की ओर से प्रबन्धक/पुजारी श्री सुरेश शर्मा तत्पश्चात अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजियात तत्समय श्री माना की गैर खातेदारी में दर्ज थी जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19–2–1998 को खातेदारी में दर्ज की गई तत्पश्चात श्री माना का स्वर्गवास होने पर मंदिर के नाम दर्ज करने के बजाय ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 20–1–2006 द्वारा माना के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। माना के वारिसान ने उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड़ में राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखाराम को दिनांक 1–12–2006 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 तस्दीक कर दिया। श्री माना के दिनांक 22–10–1970 को विवादग्रस्त आराजियात के जिस प्रकार के हक अधिकार एवं स्वत्व निहित थे, वो जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा मंदिर श्री बंशीवारा को प्रदान कर दिये गये एवं श्री माना के विवादित भूमि में निहित समस्त स्वत्व धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समाप्त होकर मंदिर मूर्ति में निहित हो गये। चूंकि माना को जरिये नामांन्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19–2–1998 को खातेदार दर्ज किया गया ऐसी स्थिति में इसके ठीक पश्चात विवादग्रस्त आराजियात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन विरासती नामान्तरकरण संख्या 225 एवं पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 316 तस्दीक कर दिये गये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि श्री माना द्वारा दिनांक 22–10–1970 को पंजीकृत बख्शीशनामें को रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है जिससे उक्त बख्शीशनामें के आधार पर विवादग्रस्त आराजियात के स्वत्व दिनांक 22–10–1970 को मंदिर मूर्ति श्री बंशीवारा में निहित हो चुके है। विवादग्रस्त आराजियात मंदिर मूर्ति बंशीवारा के हक में दिनांक 22–10–1970 को पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित किया जा चुका था जिससे उक्त प्रकरण विवादित श्रेणी में होने से ग्राम पंचायत को विवादित भूमि संबंधी नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षैत्राधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसे धारा 46 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संरक्षण प्राप्त है। ईश्वर में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने पास निहित किसी भी प्रकार की सम्पतित को भगवान को समर्पित करने, बख्शीश करने का पूरा अधिकार है एवं विवादग्रस्त आराजियात माना द्वारा दिनांक 22–10–1970 को मंदिर मूर्ति को जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा बख्शीश कर दी गई थी। गैर खातेदार के दौरान बख्शीशनामा वैद्य नहीं होता तो उप पंजीयक द्वारा उसका पंजीकरण नहीं किया जाता लेकिन विक्रय, अवैध हो सकता है लेकिन मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है, के हक में गैर खातेदारी के दौरान ही बख्शीशनामा किया जा सकता है। बख्शीश किए जाने में कहीं कोई अवरोध नहीं है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर के हक में निष्पादित पंजीकृत बख्शीशनामें का विक्रय होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि दिनांक 22–10–1970 के पश्चात माना अथवा उसके वारिसान द्वारा राज्य को कभी भी लगान अदा नहीं करने, ना ही काबिज होने के कारण भी श्री माना तथा उसके वारिसान के समस्त काश्तकारी स्वत्वों का अवसान हो चुका है। जिससे नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 20–1–2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक किया गया है जिसे निरस्त करवाया जाकर विवादग्रस्त आराजियात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–04–2009 एवं नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 20–1–2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 निरस्त किये जाने एवं पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 के आधार पर मंदिर मूर्ति श्री बंशीवारा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ नजीरे भी प्रस्तुत कर उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया यथाः– (1) RLW 2003(3)राज.एस.बी. सिविल प्रथम अपील नम्बर 760/1980 निर्णय दिनांक 12 सितम्बर, 2001 मदनलाल बनाम कानूनी प्रतिनिधि स्व0 श्री रामप्रसाद (2) RRD 1983 पृष्ठ 676–677 डी.बी. अपील नम्बर 174, 176 व 177 गंगानगर/76 निर्णय दिनांक 12 सितम्ब, 1983 बीरबल बनाम श्रीमती दीपा (217) (3) राज. रेवेन्यू

आईजेस्ट 1979 वृहद् पीठ अपील नम्बर 17/सवाईमाधोपुर /75 निर्णय दिनांक 27 अक्टूबर 1978 केरिया बनाम सांवलिया ।

अपीलांट अभिभाषक की लिखित बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार श्री माना पुत्र मंगला थे। जिनका दिनांक 25–5–2000 का इन्तकाल होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 20–1–2006 को रेस्पोन्डेन्ट श्रीमती यशोदा पत्नी माना, बज्जा, मेघा, पन्ना, सोहन, नानू पि0 माना मीरा, लाली पुत्री माना कौम भांबी साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। विवादग्रस्त आराजियात रजि0 विक्रय पत्र मेघा पुत्र माना ने दिनांक 21–3–2007 को क्रेता राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखराम भांबी को बेचान कर दी जिसके आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। विवादग्रस्त आराजियात के रेस्पोन्डेन्ट्स विधिक खातेदार काश्तकार है। सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जो विधिसम्मत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट्स अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आराजी मुतनाजा पर खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण जाति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट्स सवर्ण जाति के व्यक्ति है जो मंदिर की आड़ में अनुसूचित जाति की आराजी को हड़पना चाहते है। जबकि धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की आराजी पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट दिनांक 22–10–1970 का तथाकथित बख्शीशनामा बता रहे है जबकि उक्त अवधि को माना पुत्र मंगला खातेदार ही नहीं था। माना पुत्र मंगला नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19–2–98 के जरिये गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई है इस कारण अपीलांट द्वारा तथाकथित बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 को विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी नहीं होने के कारण माना पुत्र मंगला द्वारा निष्पादित बख्शीशनामा निराधार एवं असत्य कहानी पर आधारित है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम खातेदारी अधिकारों को नमान्तरकरण के माध्यम से हक एवं अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते जैसा कि आर.बी.जे. 2014 पेज 139 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसे यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस के कथनों के समर्थन में कुछ नजीरे मियाद बिन्दु एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय के संबंध में प्रस्तुत कर उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया यथाः– एआईआर 1998 (सुप्रीमकोर्ट) पेज 2276, आर.बी.जे. 2004 पेज 520, 525, आर.बी.जे. 1999 पेज 332, आर.बी.जे. 2000 पेज 393, 421, 358 आर.बी.जे. 1998 पेज 370, आर.बी.जे. 2004 पेज 135, 611 आर.बी.जे. 2005 वेज 132, 97

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री माना पुत्र मंगला जाति मेघवाल निवासी मौजा कानस तहसील अजमेर द्वारा आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी है, के हाल खसरा नम्बर 964 मिन रकबा 11 बीघा श्री माना की खातेदारी में दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त आराजियात श्री माना द्वारा जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 को अपीलांट मंदिर श्री बंशीवारा को प्रदान कर दी जिसमें यह भी उल्लेखित है कि उक्त आराजी में मेरे सिवाय कोई दूसरा हकदार हिस्सेदार नहीं है आर यह आराजी आज से पहले कहीं पर भी मेरी तरफ से रहन बय बख्शीश वगैरह नहीं है। उक्त भूमि मंदिर श्री बंशीवारा वाके मौजा लीलासेवड़ी जरिये मालिक व प्रबन्धक व पुजारी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सूर्यानन्द जी शर्मा लीला सेवड़ी को वास्ते भोग प्रसादी भगवान श्री बंशीवारा व दीगर अखराजात मंदिर श्री बंशीवारा वाके लीलासेवड़ी को बख्शीश कर दी। श्री माना पुत्र मंगला विवादग्रस्त आराजियात के गैर खातेदार थे तथा खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19–2–1998 को खातेदारी में दर्ज की गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो वह अपनी भूमि या सम्पत्ति मंदिर मूर्ति के लिए बख्शीश कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के अनुसार श्री माना द्वारा विवादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीकमृत बख्शीशनामा दिनांक 22–10–1970 को मंदिर मूर्ति श्री बंशीवारा के हक में बख्शीश करते ही श्री माना के अधिकारों का अवसान होकर मंदिर मूर्ति में निहित हो गये। श्री माना ने बख्शीशनामें में स्वयं द्वारा उल्लेख किया है कि उक्त आराजी में मेरे सिवाय कोई दूसरा हकदार हिस्सेदार नहीं है ओर यह आराजी आज से पहले कहीं पर भी मेरी तरफ से रहन बय बख्शीश वगैरह नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत को विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमि पर कब्जे की जांच की जानी चाहिए थी। जबकि विवादग्रस्त आराजियात श्री माना द्वारा पूर्व में ही मंदिर मूर्ति बंशीवारा को बख्शीश की जा चुकी थी। राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित प्रकरण का निस्तारण का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को प्रदत्त है ग्राम पंचायत को नहीं। यदि पंजीकृत बख्शीशनामे पर रेस्पोडेन्ट को आपत्ति थी तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी। रेस्पोन्डेन्ट को विवादग्रस्त आराजियात का श्री माना द्वारा बख्शीशनामे के पश्चात विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोन्डेन्ट् संख्या 1 से 8 ने राजस्व कर्मचारियों से पंजीकृत बख्शीशनामें एवं मंदिर मूर्ति श्री बंशीवारा के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामें के आधार पर प्रदत्त कब्जे एवं तथ्यों को छिपाकर श्री माना की मृत्यु पश्चात

विरासती नामान्तरकरण संख्या 225 अपने नाम तस्दीक करवा लिया उक्त गैर कानूनी नामान्तरकरण के आधार पर मेघा पुत्र श्री माना ने अपने हिस्से की आराजियात को जरिये पश्चातवर्ती पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1–12–2006 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 के पक्ष में उक्त पश्चातवर्ती दस्तावेज की आड़ में बिना कब्जे के नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा लेण्ड रेकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 एवं धारा 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर कानूनी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–04–2009 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–04–2009 अन्तर्गत अपील संख्या 90/2007 बउनवान मंदिर श्री बंशीवारा बनाम श्रीमति यशोदा देवी व अन्य तथा सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 21–3–2007 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

**(हनुमान सहाय मीना)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**